न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –17/2019

वदीया	प्रतिवादीगण
1. जसी पत्नि पूराराम जाति मेगवंशी निवासी रोडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. किशना पुत्र हीरा जाति मेगवंशी निवासी भाटीप तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 3. जा.स.भूमि. विकास बैंक लि. शाखा रानीवाडा जरिये सचिव

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीया अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 24.02.2021

1. वदीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रोडा तहसील रानीवाडा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 1.46 हे. किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.43 हे. किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 2.89 हे. की आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जसी जोजे पूराराम 1/2 कौम मेगवंशी सा.देह किशना वल्द हीरा जाति मेगवंशी सा.भाटीप खातेदार 1/2 तहसील रानीवाडा जिला जालोर दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदार का हैं। उक्त आराजी का वादीया व प्रतिवादगण 1 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ हैं। मगर मौके पर बंटवाडा हो चुका हैं। वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा अ अनुसार काले रंग से दर्शित स्थान अर्थात दोनो खसरा नम्बरान में से दक्षिण दिशा की आराजी पर वादीया का कब्जा काश्त हैं तथा नजरी नक्शा में बिना रंग से दर्शित स्थान पर अर्थात दोनों खसरा नम्बरान में से उत्तर दिशा की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। वादीया मौके पर कब्जे काश्त अनुसार उक्त आराजी का बंटवाडा करवाना चाहती हैं, जिस हेतु यह दावा बाबत बंटवाडा का पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त आराजी मौजा रोडा तहसील रानीवाडा के [illegible] खसरा नम्बर 191 रकबा 1.46हे. किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 1.43हे. किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 2.89 हे. का वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 कि बीच मौके पर कब्जे काश्त

अनुसार बंटवाडा किया जाकर वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में काली स्याही से दर्शित स्थान पर वादीया का कब्जा काश्त होने से उन्हे उक्त काली स्याही से दर्शित स्थान 1/2 हिस्सा की आराजी बंट में अलग दी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को शेष 1/2 हिस्सा जो नजरी नक्शा में बिना रंग से दर्शित की गई हैं आराजी बंट में अलग दी जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसील रानीवाडा को तहरीर जारी की जावे। तथा इस आशय की डिकी बहक वादीया बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त आराजी में से वादीया के बंट की आराजी में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखलंदाजी करावे।

3. वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

4. दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय द्वारा वादीया अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा रोड़ा के खसरा नम्बर 191 रकबा 1.46 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 215 रकबा 1.43 हेक्टेयर जूमले रकबा 2.89 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिकी के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/59 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिकी की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/27 दिनांक 21.01.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीया के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिकी अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	किशना पुत्र हीरा जाति मेगवंशी सा. भाटीप खातेदार रहन–जा.स.भू.वि. बैक लि. शाखा रानीवाडा	191	1.46	0.9250	बारानी दोयम	केसरिया	2.7750
		215	1.43	0.5200	बारानी दोयम	केसरिया	1.5600

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

2.	जसी पत्नि पूराराम जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार	191	1.46	0.5350	बारानी दोयम	नीला	1.6050
		215	1.43	0.9100	बारानी दोयम	नीला	2.73

6. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
1. जसी पत्नि पूराराम जाति मेगवंशी निवासी रोडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. किशना पुत्र हीरा जाति मेगवंशी निवासी भाटीप तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 3. जा.स.भूमि. विकास बैंक लि. शाखा रानीवाडा जरिये सचिव

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 17/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 3 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	किशना पुत्र हीरा जाति मेगवंशी सा. भाटीप खातेदार रहन–जा.स. भू.वि. बैक लि. शाखा रानीवाडा	191	1.46	0.9250	बा.दो.	केसरिया	2.7750
		215	1.43	0.5200	बा.दो	केसरिया	1.5600
2.	जसी पत्नि पूराराम जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार	191	1.46	0.5350	बा.दो	नीला	1.6050
		215	1.43	0.9100	बा.दो	नीला	2.73

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24.02.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested